सम्पादक की कलम से

आजकल हर दिन किसी न किसी आर्थिक घोटाले का खुलासा हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली जनता के बीच बड़ा मुद्दा बन गया है। राजनीतिक अधिसत्ता में अब भी वित्तीय माफिया से लड़ने और उसे पराजित करने की क्षमता है। जैसा कि २ जी घोटाले में हुआ, अदालतें भी भ्रष्टाचार की मूकदर्शक मात्र नहीं है। वे महत्वपूर्ण दखल देकर सरकार को भी कठघरे में खड़ी कर रही है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रकार की घटनाएं नई नहीं है। हम सौभाग्यशाली है कि भ्रष्टाचार के वायरस के बीच यहां चौबीसों घंटे चलने वाला इलेक्ट्रॉनिकऔर प्रिंट मीडिया मौजूद है। इनके कारण भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ता है। हमारे राजनीतिक तंत्र में भ्रष्टाचार और समझौतों की गुंजाइश नहीं है।

आज व्यवस्था गठबंधन ढांचे की तमाम कमजोरियों और राजनीतिक दान परंपरा के बावजूद इनका मुहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए पूरी व्यवस्था को बदनाम कर रहे है। जनता राजनीतिक तंत्र से आगे चलती है। अगले कुछ महीनों के दौरान राह कुछ राज्यों में राजनीतिक रूप से लाभ और घाटे में रहने वालों का फैसला कर देगी। अगर संप्रग सरकार राष्ट्रमंडल और २ जी घोटाले के दोषियों को सजा देने की दिशा में तेजी से आगे नहीं बढ़ती तो सत्ताधीशों के तमाम प्रवचन और कानूनी व राजनीतिक विचारों का जनता पर विपरित असर होगा। इस स्थिती सीधा लाभ विपक्षी दलों को मिलेगा। महत्वपूर्ण तो यह है कि राजनीति में अब भी ईमानदार लोग बचे है। २ जी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी और राहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पीएसी की भी आवश्राकता नहीं है। इसके लिए सीबीआइ ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।

राजनीति में कभी अवकाश नहीं होता। नए साल में कई राज्यों में राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलेगा। वर्ष २०११ राजनीतिक गहमागहमी से भरपूर होगा। गठबंधन की राजनीति जारी रहेगी, किंतु योग्यता, दमखम और साख पर परिणाम काफी कुछ निर्भर करेगे। हम बिहार में यह रूझान देख चुके है। वहां नीतीश कुमार के सुशासन का जनता दल-भाजपा गठबंधन को लाभ मिला है। पश्चिम बंगाल में भी यही हालात है जहां ममता बनर्जी एकतरफा जीत हासिल करने जा रही है। असम में तरुण गोगो पहले से भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मायावती जीत की ओर अग्रसर है।

केरल में कमजोर प्रदर्शन के कारण वाम दल कांग्रेस के हाथों पटकनी खाते दिखा पड़ रहे है। पंजाब में अकाली दल ने भी लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया है। तमिलनाडु में हालात बहुत उपर नीचे होन वाले है। वहां के बारे में कोई बड़ा एस्टोलॉजर ही भविष्यवाणी कर सकता है। पिछली बार द्रमुक ने मतदाताओं को टीवी सेट भेंट किए थे। २ जी घोटाले के बाद देखना है कि अब वह क्या पेशकश करती है? को भी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि २ जी लूट का पूरा माल केवल ए राजा के पास है। संभावित गठबंधनों का असर चुनावी परिदृश्य पर पड़ना तय है।

राजनीतिक लड़ाइयां केवल अदालतों, सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल या फिर सक्रिय राज्यपालों के बल पर नहीं जीती जातीं। इनमें हार-जीत का फैसला राजनीतिक समर भूमि पर होता है। गठबंधन राजनीति के युग में किसी भी पार्टी के लिए केवल अपनी क्षमता और करिश्मे के बूते जीत हासिल करना संभव नहीं है। केंद्र में प्रभावी नेतृत्व वाली कांग्रेस उड़ीसा में नवीन पटनाराक के सामने प्रभावी क्षेत्रीय नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई । आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पूरी तरह अव्यवस्था की स्थिति है। वहां अस्थिर हालात है। इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस को विश्वसनीय नेतृत्व खड़ा करना होगा।

२ जी घोटाले की जांच को लेकर भाजपा के केंद्रीरा नेतृत्व में ही मतभेद सामने आए है। यह अनिश्चय तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र में भरोसेमंद दीर्घकालीन टीम का गठन नहीं किराा जाता। भाजपा के लिए राहत की बात राह है कि गुजरात, मध्रा प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में उसके पास प्रभावी मुख्रामंत्री है। कुल मिलाकर दोनों प्रमुख दलों को २००९ की स्थिति पर बने रहने के लिए भी संघर्ष करना होगा। क्षेत्रीय दलों की स्थिति में सुधार आता नजर आ रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर विभिन्न दलों में संघर्ष चल रहा है, लेकिन देखना राह है कि इसका मतदाताओं के रूझान पर क्या प्रभाव पड़ता है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन के बारे में बहुत सी बेचैन करने वाली रपटे आ रही है। पहले ए राजा की शिकारात वाले पत्र का विवाद उठा और अब उनके दामाद श्रीनीजन के बारे में खबरे है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर संपत्ति बना है। पिछले विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। यह मामला बहुत गंभीर है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश की चुप्पी से बात बनने वाली नहीं है। आरुषि हत्या के मामले में सीबीआई की मामले को बंद करने की रिपोर्ट से व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है। सीबीआई ने सुरेश कलमाड़ी और ए राजा के खिलाफ प्रारंभिक पूछताछ शुरूकर दी है। इन दोनों मामलों में कार्रवाई अब तय है।

जंयती

अम्बेडकर की आखिरी विरासत

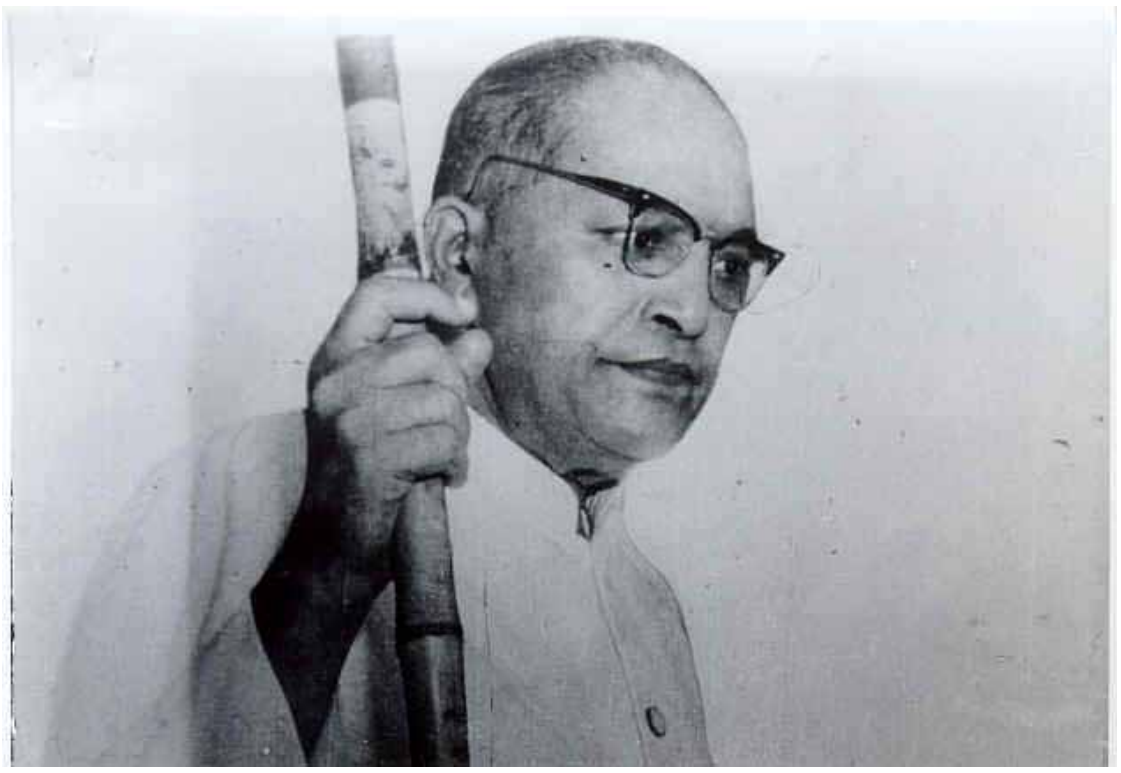

आंबेडकर पहले भारतीय थे जिन्हें विदेशी विश्वविघालय से अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त हुई थी। आंबेडकर कानून के श्रेष्ठतम ज्ञाता थे, सामाजिक क्रांतिकारी तो थे ही, वे श्रेष्ठ प्रशासक एवं दार्शनिक भी थे। विश्व के समस्त लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में , भारत का संविधान अकेला है जिसके लेखक के रूप में डॉ आंबेडकर जैसे एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हैं। शेष अन्य संविधान या तो एक लंबी प्रक्रिया के बीच विकसित हुए है या कानूनविदों के समूहों ने बनाए हैं। कहने के लिए भारत में भी एक संविधान सभा थी तथा एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉ आंबेडकर थे। तकनीकी रूप से डां आंबेडकर की देखरेख में ड्राफ्टिंग कमेटी ने मूल ड्राफ्ट तैयार कर दिया होगा जिसका संपादन करके डॉ आंबेडकर ने अपने हस्ताक्षर बैठा दिये होगें। बहुत से समीक्षक इसी तकनीकी आधार पर, इन्हें संविधान का मूल लेखकर मानने से इन्कार करते हैं, पर श्री टीटी कृष्णामाचारी जो स्वयं ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, ने संविधान पूरा हो जाने पर संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यह हाउस संभवत: इस बात से अवगता होगा कि जिन सात सदस्यों को नामित किया गया था, एक ने त्याग-पत्र दे दिया, जिसकी जगह किसी और ने ली । एक की मृत्यु हो गई और वह जगह भरी नहीं गई एक सदस्य अमेरिका के दौरे पर चले गए, जिनकी जगह खाली पड़ी रही। एक अन्य सदस्य राजकीय काम में लगे रहे। एक या दो सदस्य दिल्ली के बाहर से थे और संभवत: स्वास्थ्य खराब होने के कारण बैठकों में भाग नहीं ले पाते थे। अतत: हुआ ऐसा कि संविधान ड्राफ्ट करने की सारी जिम्मेदारी डॉ आंबेडकर पर ही आ पड़ी। भारतीय समाज की अकृतज्ञता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस देश को इतना उत्कृष्ट संविधान देने वाले महापुरूष डॉ आंबेडकर लोकसभा का चुनाव दो बार हार गए। दूसरी और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजादी की घोषणा पत्र ड्राफ्ट करने वाले थामस जैफरसन अमेरिका के दो बार राष्ट्रपति चुने गए। भारतीय समाज अपने जातीय पूर्वाग्रहों के चलते अपने नायकों एवं खलनायकों के बीच बुद्धिमत्तापूर्ण अंतर नहीं कर पाया।

खैर, यदि गैर दलित समाज डॉ आंबेडकर की विरासत को नहीं मानता है तो यह बात समझ में आती है, पर वर्तमान भारत में दलित भी कहां और किस तरह से डॉ आंबेडकर को समझते एवं अपनाते हैं । डॉ आंबेडकर का व्यक्तित्व सागर जैसा गहरा, पर्वत जैसा उंचा एवं आकाश जैसा व्यापक है । उनकी विरासत अंतहीन है, इतनी विविध कि किसी एक पर सहमत हो जाना आसान नहीं है। पर यह बात स्प्ष्ट हैं कि डॉ आंबेडकर मानव मुक्ति के दार्शनिक थे, जिसमें दलितो की मुक्ति के साथ-साथ गैर दलितों की मुक्ति भी निहित है। गैर दलित भी अब जातीय तनाव से त्रस्त हैं। जातिविहीन समाज में ही इनका भला है। गैर दलित समाज इस सच्चाई को माने या न माने, दलित समाज इसे मानता भी है और समझता भी है। पर मुक्ति की सर्वागीण मार्ग क्या है, इस पर दलित भी एकमत नहीं हैं। हाल के वर्षो में धर्मातरण एवं बौद्धधर्म के प्रति आकर्षण एक अहम प्रश्न के रूप में उभर चुका है। जाहिर है न्याय की अवधारणाओं पर खड़े हुए बौद्धिज्म के प्रति दलितों का स्वाभाविक रूझान होगा, खास तौरपर तब जबकि डॉ आंबेडकर ने स्वयं ही इस धर्म को अपना लिया।

धर्म सदैव ही अध्यात्म का विकल्प होता है, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आंदोलनों का नहीं। अपने तर्को के पक्ष में यह खेमा 14 अक्टूबर 1956 की उस घटना को बार बार दोहराता है, जब बाबा साहब आंबेडकर ने बौद्धधर्म को ग्रहण किया। इस धर्मातरण समारोह को बाबा साहब की आखिरी एवं निर्णायक विरसत के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 14 अक्टूबर की घटना बाबा साहब के जीवन एवं कर्म की एक महानतम घटना थी, पर इसे आखिरी विरासत मान लेना इतिहास सम्मत नहीं होगा और न ही उनके प्रति ईमानदारी बरतना होगा।

डॉ आंबेडकर ने मई 1956 में ही 14 अक्टूबर को बौद्धधर्म ग्रहण करने की घोषणा कर दी थी एवं अपनी घोषणा को अंजाम भी दिया। फिर दो माह बाद ही 6 दिसम्बर 1956 को उनका देहावसान हो गया। इसकी आखिरी विरासत को समझने के लिए इस गुत्थी को समझना जरूरी है कि डॉ आंबेडकर ने आरपीआई (रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया) के गठन की तैयारी कर ली थी, जिसका ब्ल्यू प्रिंट भी तैयार कर लिया गया था। इसका मराठी अनुवाद वर्ष 1957 प्रबुद्ध भारत के विशेष अंक में छपा। इसका मूल प्रारूप डॉ आंबेडकर के ग्रंथ 17 भाग दो के पृष्ठ 151-157 पर हू-ब-हू छपा है। इसमें दो बातें स्वयं सिद्ध हो जाती हैं -प्रथम तो यह कि 14 अक्टूबर का धर्मातरण कार्यक्रम उनकी आखिरी विरासत नहीं है, क्योंकि इसके बाद वे आरपीआई जैसे राजनीतिक दल का गठन करना चाहते थे। द्वितिय यह कि बौद्धिज्म राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलनों का विकल्प नहीं हो सकता, इसलिये धर्मातरण के बाद भी वे एक राजनीतिक दल की स्थापना करना चाहते थे , जिसकी सारी तैयारियां वे कर चुके थे। बहुत सारे दलित चिंतक भारतीय संविधान को डॉ आंबेडकर का योग्यतम मानस पुत्र मानते हैं। इस विचार के सबसे बड़े गवाह डॉ आंबेडकर स्वयं ही हैं। आरपीआई के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए वे सीधे संविधान की और रूख करते हैं तथा संविधान की प्रस्तावना की पंक्तियां हू-ब-हू दोहराते हैं।

यदि डॉ आंबेडकर के जीवनकाल का अंतिम प्रयास आरपीआई जैसे राजनीतिक दल का गठन था, जिसका मेनिफेस्टों संविधान की प्रस्तावना थी,तो हमें यह मान लेना चाहिये कि भारतीय संविधान ही डॉ आंबेडकर की आखिरी विरासत थी। पॉलिटिकल जस्टिस काफी हद तक प्राप्त हो चुका है, सोशल जस्टिस भी मिलना आरंभ हो गया है। आज का समाज ठीक वैसा ही नहीं है, जैसा संविधान लागू होने के समय 1950 में था। सबसे अधूरा लक्ष्य कोई है तो वह इकॉनामिक जस्टिस का है जिसे प्राप्त करना होगा